(2018) 14 एस.सी.आर 1209

गुप्तेश्वर बेहरा

बनाम

ओडिशा राज्य और अन्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1586)

14 दिसंबर, 2018

(उदय उमेश ललित और आर. सुभाष रेड्डी, न्यायाधीशगण)

दंड संहिता 1860: एस.एस. 148, 149 और 302 – अभियोजन का मामला है कि पीड़ित पर पांच व्यक्तियों ने लाठियों, कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किया –पीडब्लू 1. पीड़ित का भाई और जांच अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, पीड़ित ने पीडब्लू 1 को अलग से दिए गए अपने मृत्युपूर्व बयानों में हमलावरों का नाम लिया और जांच अधिकारी – पीडब्लू 1 और जांच अधिकारी, चश्मदीदों और गवाहों के साक्ष्य के आधार पर, जो उस समय मौजूद थे जब मृतक ने पीडब्ल्यू 1 को मृत्यु पूर्व बयान दिया था, आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। धारा 148 और 302/149– अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया: चोटों की संख्या और उनके स्थान और सीमा पर विचार करने पर, दोनों चिकित्सा पेशेवरों द्वारा किए गए दावे, कि मृतक चोट लगने के बाद दस मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सका। चोटों को स्वीकार कर लिया गया है, इस संबंध में कोई विपरीत सबूत नहीं है – इसके अलावा, पीडब्लू मुझे सूचना मिली कि उसका भाई खून से लथपथ पड़ा

है, जिसके बाद वह घटना स्थल पर पहुंचा, माना कि 15 मिनट की दूरी पर पैदल चलकर – इसका मतलब है समय दो बार लग गया – जिस व्यक्ति ने हमला नहीं देखा था लेकिन पीडब्ल्यू 1 को सूचित किया था, उसे पहले दूरी तय करनी पड़ी और उसके बाद पीडब्ल्यू 1 घटना स्थल पर पहुंची – जांच अधिकारी, बाद में भी घटना स्थल पर पहुंचे – इस प्रकार, यह है संदेहास्पद है कि क्या मृतक इतनी देर तक जीवित रहा था कि पीडब्लू 1 और जांच अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच सकें और फिर इन गवाहों के सामने अलग–अलग बयान दे सकें, इस प्रकार, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है और उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1586/2018 (आपराधिक अपील संख्या 50/1999 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.08.2017 से।)

अपीलार्थीयों के लिए अधिवक्तासिबो शंकर मिश्रा, निरंजन साहू, तेजस्वी कुमार प्रधान।

प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता सोम राज चौधरी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, न्यायाधीश

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील 1999 की आपराधिक अपील संख या 50 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 29.08.2017 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है।

2. वर्तमान मामले में, 15.11.1995 को रात 9:00 बजे रायगडा पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर संख्या 93/1995 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। प्रदीप कुमार पात्रा की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में पीडब्ल्यू 1 के रूप में जांच की गई, यह प्रस्तुत किया गया कि एक कुमुरिका नबीना ने पीडब्ल्यू 1 प्रदीप को सूचित किया कि उसके भाई रघुमणि पर हमला किया गया था और वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। दुखी पीडब्ल्यू 1 प्रदीप तुरंत वहां पहुंचे और रघुमणि के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कटे के निशान पाए, जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। आगे कहा गया कि जब उनसे हमले के बारे में सवाल किया गया,रघुमणि ने जवाब दिया कि नटबर गुरु, त्रिनाथ गुरु, गुप्तेश्वर बेहरा, चंदेश्वर बेहरा, मलिकेश्वर बेहरा नाम के व्यक्तियों ने उन पर लाठी, कुल्हाड़ी और एक बड़े चाकू से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक, जब रघुमणि इस तरह का बयान दे रहे थे, तब त्रिनाथ नायक और मंदांगी राममूर्ति मौजूद थे।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस अधिकारी उत्कल रंजन दास (बाद में पीडब्लू 15 के रूप में जांच की गई) रात 8.15 बजे घटना स्थल पर पहुंचे और उक्त रघुमणि को पुलिस वाहन में और वाहन के अंदर रहते हुए रात 8:45 बजे गमपुर अस्पताल ले गए। रघुमणि को होश आ गया। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि पुलिस वाहन में रहते हुए रघुमणि ने हमलावरों के नाम बताते हुए एक बयान (अनुभाग 5) दिया। हालाँकि, जब रघुमणि को अस्पताल लाया गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी।

4. उचित जांच करने के बाद, छह आरोपियों, रामा राव पाटिका, चंदेश्वर बेहरा, गुप्तेश्वर बेहरा, मलिकेश्वर बेहरा, नटबारा गुरु और त्रिनाथ गुरु पर सत्र मामले में धारा 148, 149 के साथ पठित धारा 302 आईपीसी के तहत

दंडनीय अपराध करने का मुकदमा संख्या 15/1997 अपर सत्र न्यायाधीश, रायगड़ा के न्यायालय में चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में जांच अधिकारी पीडब्लू1 प्रदीप और पीडब्लू15 के साक्ष्यों पर भरोसा किया कि मृतक रघुमणि ने अपनी मृत्यु में हमलावरों का नाम लिया था। पीडब्लू 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि घटना स्थल पैदल 15 मिनट की दूरी पर था। इसके अलावा दो अन्य गवाहों पर भी भरोसा किया गया। पीडब्लू 4 और 5 को घटना का चश्मदीद गवाह बताया गया। हालाँकि, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उनके बयान घटना के 4 से 5 दिन बाद दर्ज किए गए थे। गवाहों का दूसरा समूह पीडब्लू 2, 8 और 9 थे, जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, लेकिन कहा गया था कि जब मृतक ने बयान दिया गया था तब वे पीडब्लूआई प्रदीप मौजूद थे।

5. चिकित्सा साक्ष्य पीडब्लू 13 डॉ. ब्रज किशोर दास के माध्यम से सामने आए, जिन्होंने रघुमणि को मृत घोषित कर दिया था जब उन्हें अस्पताल लाया गया था और पीडब्लू 14 डॉ. बिपिन चंद्र पाढ़ी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। पीडब्लू14 डॉ. पाढ़ी के अनुसार मृतक के शरीर पर चौदह चोटें थीं, जिनमें से ग्यारह कटी हुई चोटें थीं। उक्त पीडब्लू 14 के अनुसार, सभी चोटें मृत्युपूर्व थीं, कि मृत्यु रक्तस्राव और मृतक के शरीर पर व्यापक चोटों के परिणामस्वरूप सदमे के कारण हुई थी, चोट संख्या 1 और 2 प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उपरोक्त डॉक्टरों ने अपनी जिरह में निम्नलिखित बयान दिए:–

> "पीडब्लू 13 डॉ. दास ने कहा, "ऐसी चोटें लगने से जैसा कि पीएम रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि मरीज पांच मिनट के भीतर होश खो बैठा होगा। ऐसी चोटें लगने से दस मिनट के भीतर मौत संभव हो सकती है।"

पीडब्लू 14 डॉ. पाढ़ी ने कहा, ऐसी चोटें लगने से घायल कुछ मिनटों तक जीवित रह सकता है। इस विशेष प्रकार के मामले में मरीज अपनी समझ खोकर होश में नहीं आ पाता है" और "...रक्तस्राव आघात और न्यूरोजेनिक आघात से मृत्यु तत्काल हो सकती है। उन चोटों के लगने से मरीज़ पाँच मिनट के भीतर बेहोश हो गया होगा। जिससे शायद मृत्यु दस मिनट के अंदर संभव है।"

6. सत्र न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सक्षम था और सभी छह आरोपी उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी थे। इस प्रकार सत्र न्यायालय ने उन्हें आईपीसी की धारा 148 और आईपीसी की धारा 302 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें पहले मामले में तीन साल के कठोर कारावास और दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

7. सभी छह दोषी अभियुक्तों ने आपराधिक अपील संख्या 50/1999 को प्राथमिकता देते हुए उच्च न्यायालय में उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी गई। अपील के लंबित रहने के दौरान, मूल अभियुक्त संख्या 4, 5 और 6, अर्थात् मलिकेश्वर बेहरा, नटबारा गुरु और त्रिनाथ गुरु की मृत्यु हो गई और इस तरह उनकी अपील निरस्त हो गई।

8. उच्च न्यायालय ने पाया कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों, अर्थात् पीडब्लू 4 और 5 के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते क्योंकि उनके बयान देर से दर्ज किए गए थे। उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू 1 और 15 की गवाही पर भरोसा किया, जहां तक मूल आरोपी नंबर 2 और 3, अर्थात् चंदेश्वर बेहरा और गुप्तेश्वर बेहरा का संबंध था और उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की

गई। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आरोपी नंबर 1, रामाराव पाटिका को संदेह का लाभ दिया और उसे बरी कर दिया। उपरोक्त निर्णय और आदेश दिनांक 29.08.2017 को चंदेश्वर बेहरा और गुप्तेश्वर बेहरा ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके चुनौती दी थी। चूंकि चंदेश्वर बेहरा ने आत्मसमर्पण का उचित सबूत दाखिल नहीं किया, इसलिए इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.2018 के तहत गैर–अभियोजन पक्ष के कारण उनकी चुनौती खारिज कर दी गई। हमें सूचित किया गया है कि उक्त चंदेश्वर बेहरा की मृत्यु हो चुकी है। हालाँकि, इस संबंध में कोई सबूत दाखिल नहीं किया गया है।

9. इस मामले में, हम गुप्तेश्वर बेहरा से चिंतित हैं। हमने अपील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता श्री सिबो शंकर मिश्रा और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रोम राज चौधरी को सुना है।

10. वर्तमान मामले में चश्मदीद गवाह के बयान को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उसे भरोसे के योग्य नहीं पाया गया था। इस प्रकार, हमारे पास साक्ष्य के दो सेट बचे हैं, पहला मृतक द्वारा पीडब्लू 1 और 15 को अलग–अलग दिए गए मृत्युकालीन बयानों से संबंधित है और साक्ष्य का दूसरा सेट पीडब्लू 2, 8 और 9 के संबंध में है, जिनके बारे में कहा गया था कि वे मृत्यु के समय उपस्थित थे जब मृतक द्वारा पीडब्लू 1 की घोषणा की गई थी।

11. यदि चोटों की संख्या और उनके स्थान और सीमा पर विचार किया जाता है, तो दोनों चिकित्सा पेशेवरों, अर्थात् पीडब्ल्यू 13 और 14 द्वारा किए गए दावे कि मृतक चोटें लगने के बाद दस मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सके, प्रतीत होता है ये दावे बिल्कुल सही है। उनके संबंध में जिरह में आए हैं और अभियोजक द्वारा दोबारा जांच की मांग भी नहीं की गई थी, इस प्रकार,

इस संबंध में कोई विपरीत सबूत नहीं है। इसलिए, हमें यह स्वीकार करना होगा कि मृतक चोटें लगने के बाद कुछ ही समय तक जीवित रहा होगा।

12. यदि हम सबूतों का विश्लेषण करें, तो पीडब्लू 1 को सूचना मिली कि उसका भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसके बाद वह घटना के स्थान पर दौड़कर गया। माना जाता है कि घटनास्थल 15 मिनट की पैदल दूरी पर था। इसका मतलब यह है कि समय दोगुना लग गया। जिस व्यक्ति ने हमला नहीं देखा था लेकिन पीडब्लू 1 को सूचित किया था, उसे पहले दूरी तय करनी पड़ी और उसके बाद पीडब्लू 1 घटनास्थल पर पहुंचा। जांच अधिकारी, यानी पीडब्लू 15 भी बाद में घटना स्थल पर पहुंचे। इसलिए, यह बेहद संदिग्ध होगा कि क्या मृतक इतने समय तक जीवित रहा था कि पीडब्लू 1 और 15 घटना स्थल पर पहुंच सकें और फिर इन गवाहों के सामने अलग–अलग बयान दे सकें।

13. इसलिए, अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार है। इन परिस्थितियों में यह अपील स्वीकार की जाती है। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। उन्होंने उसे तब तक आज़ाद कर दिया जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

निधि जैन अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।